

43144  
20/6/2022

पंजीकृत  
सेवा में,

दिनांक 17.06.2022

श्रीमान अपीलीय अधिकारी  
कार्यालय सहायक महाप्रबन्धक (आवासीय सम्पत्ति)  
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण  
(निकट मेट्रो स्टेशन) ग्रेटर नोएडा  
जनपद गौतमबुद्ध नगर

विषय :- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- सैक्टर में नियोजित भूखण्ड पर अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान करने के सन्दर्भ में पत्र दिनांक 26.04.2019 एवं पत्र दिनांक 26.07.2019 द्वारा अपेक्षित वांछित सूचना।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थिनी श्रीमति सरोज रानी पत्नि श्री बलराम सिंह ने भूखण्ड संख्या-237 ब्लॉक-डी, सैक्टर ईटा-1, ग्रेटर नोएडा का प्लॉट प्राधिकरण द्वारा किये जाने के पश्चात् उक्त भूखण्ड की रजिस्ट्री आदि पूर्ण कराकर भवन निर्माण करा लिया गया था।

इसके पश्चात् आपके कार्यालय पत्र संख्या/सम्पत्ति/ईटा-01/2013/555 दिनांक 23.05.2018 द्वारा चार समान किस्तों में धनराशि 73,250/-रु० कुल धनराशि 2,93,000/-रु० की उपरोक्त भूखण्ड पर माँग की गयी थी, जिसके लिए प्रार्थी ने प्रथम किस्त धनराशि लगभग 77,000/-रु० दिनांक 12.03.2019 में जमा कर दी थी, (छायाप्रति संलग्न है) परन्तु प्रार्थी को विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ कि उपरोक्त प्लॉट जिस खसरा में है उस खसरा पर दुबारा किसी भी कृषक को मुआवजा नहीं दिया है जिसके लिए प्रार्थी ने आपके कार्यालय से पत्र दिनांक 26.07.2019 (छायाप्रति संलग्न है) में आर०टी०आई० द्वारा उपरोक्त सूचना माँगी थी, जिसका उत्तर आज तक भी आपके अधिनस्त अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है।

R.T.I-16829 (PROP)  
Appi-No-3508  
21.6.22

for 12th